न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी, सीकर

पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर. ए. एस.)

दावा संख्या : 41/16 निर्णय दिनांक :—31.07.2019

1. सुखवीर पुत्र सुरजाराम उम्र 45 साल
2. श्रीमती जयंती बेवाह सुरजाराम उम्र 90 साल समस्त जाति जाट निवासी ग्राम देवास तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)।

........वादी

बनाम

1. केशरदेव पुत्र कानाराम उम्र 46 साल
2. विदाधर पुत्र कानाराम उम्र 40 साल
3. सोनी देवी पत्नि कानाराम उम्र 77 साल
4. सागरमल पुत्र नोपाराम उम्र 65 साल
5. रणजीत पुत्र नोपाराम उम्र 50 साल
6. छोटी देवी पत्नि स्व. दुर्गाराम उम्र 65 साल
7. उम्मेद पुत्र दुर्गाराम उम्र 32 साल
8. सांवरमल पुत्र सुरजाराम उम्र 57 साल समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम देवास तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)।
9. पटवारी पटवार हल्का देवास तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)।
10. उप पंजियक महोदय रामगढ शेंखावाटी, जिला सीकर (राज)।
11. तहसीलदार (भूमि धारक) रामगढ शेंखावाटी जिला सीकर (राज.)।
12. जिला कलेक्टर महोदय, जिला सीकर (राज.)।
13. सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एन.एच. 65 उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर (राज.)।
14. पंजाब नेशनल बैंक शाखा फतेहपुर जिला सीकर (राज.)।
15. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा फतेहपुर जिला सीकर (राज.)।

..........प्रतिवादीगण

निर्णय

उपस्थितिः— विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार शर्मा(वादीगण की ओर से)
विद्वान अधिवक्ता श्री धन्नाराम सैनी (प्रतिवादी सं 4ता6 की ओर से)

प्रकरण वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि के विभाजन से संबंधित है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 63/2 रकबा 2.01 है0, खसरा नम्बर 25 रकबा 6.81 है0 वाके ग्राम देवास तथा खसरा नम्बर 2 रकबा 4.71 है0, खसरा नम्बर 3 रकबा 7.50 है0 वाके ग्राम आसास ग्राम तहसील रामगढ शेखावाटी में अवस्थित आराजी के विभाजन हेतु दिनांक 11.06.2018 को न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित की गई थी। तहसीलदार रामगढ को विवादित आराजी के सहखातेदारों के मध्य विभाजन हेतु मय नक्शा ट्रेस प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया था। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू.अ./19/3087 दिनांक 02.07.2019 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षकारान तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत है।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार रिकॉर्डेड खातेदार को कृषि भूमि में अपनी आराजी का विभाजन करवाने का अधिकार है एवं सहखातेदारों के मध्य विभाजन किया जाना उचित है। अतः अन्तिम डिक्री पारित की जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर ग्राम देवास के साबिक खसरा नम्बर 63/2 रकबा 2.01 हैक्टेयर के वर्तमान खसरा नम्बर 127 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 132 रकबा 0.74 है., खसरा नम्बर 133 रकबा 0.56 है., खसरा नम्बर 134 रकबा 0.01 है. खसरा नम्बर 135 रकबा 0.55 है. कुल रकबा 2.01 हैक्टेयर तथा साबिक खसरा नम्बर 25 रकबा 6.81 के वर्तमान खसरा नम्बर 46 रकबा 6.81 है. एवं ग्राम आसास के खसरा नम्बर 2 रकबा 4.71 है0, खसरा नम्बर 3 रकबा 7.50 है0 का रिकॉर्डेड खातेदारों के मध्य तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है। विभाजन के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस डिक्री का भाग रहेगा।

क्र. स.	खातेदार का नाम	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान
01.	छोटी पत्नी दुर्गाराम उम्मेदसिंह पुत्र दुर्गाराम हि. 1/4 मोहनी (मृत) पत्नी नोपाराम रणजीत सागरमल पिता नोपाराम हि. 3/4 जाति जाट सा. देह	देवास	46	6.81	बा.2	20.43
	योग		किता 01	6.81		20.43
02.	केशरदेव विधाधर पिता कानाराम सोना पत्नी कानाराम जाति जाट सा. देह	देवास	133 134 135	0.56 0.01 0.55	बा. 1 गै.मु.चाह बा. 1	0.56 — 0.55
	योग		किता 03	1.12		1.11
03.	जयन्ती पत्नी सुरजाराम सुखवीर पुत्र सुरजाराम हि. 2/3 राहिन पी.एन.बी बैंक शाखा फतेहपुर सांवरमल पुत्र सुरजाराम हि. 1/3 जाति जाट सा. देह	देवास	127 132	0.15 0.74	बा.1 बा.1	0.15 0.74
	योग		किता 02	0.89		0.89
04.	जैती पत्नी सुरजाराम सुखवीर पुत्र सुरजाराम हि. 2/3 राहिन पी.एन.बी बैंक शाखा फतेहपुर सांवरमल पुत्र सुरजाराम हि. 1/3 जाति जाट सा. देवास	आसास	2/1 3/1	1.93 4.18	बा.2 बा.2	7.72 16.72
	योग		किता 02	6.11		24.44
05.	भानाराम(मृत) पुत्र गीगाराम जाति जाट सा. देवास	आसास	2/2 3/2	2.78 3.32	बा.2 बा.2	11.72 13.28
	योग		किता 02	6.10		25.00

मृतक मोहनी व भानाराम के वारीसान पहले से ही दावे में पक्षकार है। तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव दिनांकित 02.07.2019 निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)

Scanned by CamScanner